न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—00233/2016/223 आर.टी.एक्ट (2016/00233)

1. श्री लाला पुत्र स्व0 धन्ना आयु 70 वर्ष
2. श्री बालू पुत्र स्व0 धन्ना आयु 55 वर्ष
3. श्री गोपाल पुत्र स्व0 धन्ना (मृतक वारिसान)
   3/1 जयसिंह पुत्र स्व0 गोपाल आयु 20 वर्ष
   3/2 श्रीमती कमला पत्नि स्व0 गोपाल आयु 42 वर्ष
4. श्री हरि पुत्र स्व0 धन्ना आयु 48 वर्ष जातिगण रावत निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्री रूपा पुत्र भोमा जाति रावत
2. श्री करमा पुत्र भोमा जाति रावत
3. श्री मांगीलाल पुत्र भोमा जाति रावत
4. मानी पुत्री भोमा जातिगण रावत निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा दिनांक 16.05.2016 राजस्व वाद संख्या 137/2014 में पारित किया गया।

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री मंगलाराम चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03
3. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 05
4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 4 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः— 29.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 137/2014 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक राजस्व वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 131 व 176 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र दिनांक 21.10.2014 को दर्ज रजिस्टर किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए जो नोटिस अदम तामील प्राप्त नहीं हुए तथा वाद पत्र को दिनांक 16.5.2016 को न्याय आपके द्वार अभियान 2016 में वादीगण के अंगूठा व हस्ताक्षर करवाते हुए प्रकरण नोट प्रेस में खारिज किए जाने का आदेश पारित कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 137/2014 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 4 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद नोट प्रेस में खारिज कर अस्वीकार कर निर्णय पारित करने का अपीलाधीन आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत तथा न्याय नियम सिद्धांत के विपरीत पारित किया है। जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद-पत्र में वादीगण पक्षकारान को सुनवाई साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा दावाकृत चाह भूमि वादीगण के खातेदारी खेत में मौके पर आस्थित है जिससे सिंचाई कर अपनी फसल काश्त करते है जिस पर शूरू से वादीगण एवं उसके पूर्वज पुश्तैनी समय काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा कब्जा व आधिपत्य के दस्तावेज जमाबंदीया व नक्शा ट्रेस वादीगण द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत की गई किंतु किसी को प्रदर्श नहीं किया गया और ना किसी की साक्ष्य ली गई एवं मौका व रिकार्ड की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 137/2014 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2016 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि वादीगण संख्या 1, 2 व 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सहमति प्रदान करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किए है कि वे उक्त वाद में आगे अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते है अतः प्रकरण को नोट प्रेस किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन किया गया। दिनांक 21.10.2014 को अधिवक्ता वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 23.2.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नोटिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

तामील। अदम तामील प्राप्त नहीं हुए। दिनांक 17.11.2015 को वकील वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नोटिस पेश करने हेतु तीन दिवस का अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक 16.5.2016 को वादी संख्या 1, 2 व 4 स्वयं उपस्थित हुए व प्रकरण में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहते। वादीगण के निवेदन पर वाद को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोट प्रेस में खारिज किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय आपके द्वारा अभियान 2016 में दिनांक 16.5.2016 को वादी का वाद केवल इस आधार पर नोट प्रेस किया गया कि वे अब वाद में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते है परंतु अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि उनके समक्ष केवल प्रार्थी संख्या 1,2 व 4 बालू, लाला व हरि ने ही हस्ताक्षर किए है व प्रार्थी संख्या 3 के उक्त राजीनामे बाबत कोई हस्ताक्षर नहीं है। प्रार्थी संख्या 3 को उक्त प्रकरण में न्यायालय के समक्ष सुनवाई का बिना समुचित अवसर दिए व उनके उक्त राजीनामे बाबत बिना उनकी उपस्थिति/सहमति के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय आपके द्वारा अभियान में प्रकरण को निर्णीत कर दिया गया जो कि एक विधिक त्रुटि है क्योंकि न्याय आपके द्वारा अभियान में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें प्रकरण से संबंधित समस्त पक्षकारों की आपसी सहमति हो परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी संख्या 3 की बिना सहमति/हस्ताक्षर के प्रकरण को नोट प्रेस में दिनांक 16.5.2016 को खारिज कर प्रकरण में विधिक व तकनीकि त्रुटि कारित की है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं होने से उनके द्वारा पारित आदेश खारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 137/2014 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2016 को निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद से संबंधित पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

29/01/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner